

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)
क्रमांक क/वाचक-1/2017 /367
प्रति घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात-1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ़ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. जरेकैला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2- उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन "आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है" के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र- 10 ग्राम का
प्रतिवेदन

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

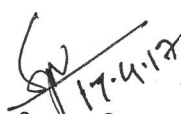
—:: ईशतहार::—

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक-पृथक) में ईशतहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक **08 मई, 2017** तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक **17.04.2017** को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।




अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत
सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषय:— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संदर्भ:— आपका आदेश क्रमांक 110805/भू-अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र क्रमांक क/वाचक-1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम नुन्दरहा, तहसील— तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपक्रम की एक



इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल बलॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात् भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दुरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है, एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का अयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क.) ।
- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 30 का कुल रकबा 6.12 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 28 व्यक्ति प्रभावित होंगे जिसमें 27 अनुसूचित जन जाति और 1 अन्य संवर्ग का है। तथा 13 सीमांत, 9 लघु, एवं 6 समान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति की पुरी जमीन नहीं जा रही है।
- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।



- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस - पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।
- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क.) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है।
- समिति के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।
- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।
- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क.) ।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता



से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपक्रम द्वारा निश्चय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्या केवल 28 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम केराखोल की खसरा नं 317/1, 164/3, 164/1, 348/19, 385/4, 385/5, 385/6, 369/1, 371/1, 385/2, 369/2, 369/3, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 307/20, 307/19, 149/5, 166/1, 171, 307/9, 307/8, 307/17, 338/5, 338/6, 386/1, 385/1, 267 रकबा कमश 1.25, 0.20, 0.10, 0.27, 0.10, 0.10, 0.10, 0.07, 0.09, 0.10, 0.10, 0.20, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.08, 0.29, 0.12, 0.10, 0.10, 0.20, 0.37, 0.52, 0.46, 0.14, 0.10, 0.22, 0.24 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

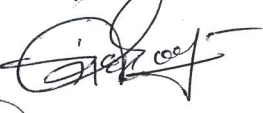
एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी


सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनीकी विशाषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक








ग्राम सुदृष्ट

दिनांक 29/04/20

विषय: रेलवे केन्द्रों परियोजना की जन
सुनवाई में संवेदन.

रेलवे लाइन दूरी 17.5
पार एक 11 लाइन मंडलीय हाट में हो जाता

① सुपर पाली से लादा तक ले जाया.
अनदरहा में.

② श्री संजय अग्रवाल - ग्राम पंचायत सुदृष्ट व केन्द्रों
जन्म सुदृष्ट रेलवे स्टेशन देखे बिना भी उधार में
अपने एक के ग्रामीणों से अनुप्राण तथा जिसका
जमाना जा रहा है. तद्विनिर्देश सहज से
संपर्क कर सुझाव लेने को कहा गया।

③ ड तद्विनिर्देश सहज. NTPC के संचालक को
परिवाहन देखे 90% हो चुका है।
लेगों से अपने विचार सुने को कहा गया।
ग्रामों समझा को चलने को कहा गया।

④ श्रीमान् प्रभावित व्यक्तियों के नाम -
आखाल - 05 लाख 18 लोग हैं। मेहनत करने वाले
श्री हरदत्त सुदृष्ट 528000 गाँवों
अभय.

⑤ वाम सुदृष्ट वाम सुदृष्ट. ⑥ जोगीराम सुदृष्ट, माता

⑦ सुदृष्ट, सुदृष्ट वाम सुदृष्ट.

⑧ वाम सुदृष्ट - सुदृष्ट सुदृष्ट.

वाम सुदृष्ट

शक्ति सुदृष्ट सुदृष्ट सुदृष्ट

Amor

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

3
 सरपंच प्रतीभा चौधरी - जमपाल रावेडा
 वाफित प्राप्त में तलाब है जो
 NAFIC की तरफ से वाफितान अ
 उस्ताव पवा।
 ए.सी. रोड एवं पंचायत भवन में
 बाछर खाल निमारा किले माफे।

उदाखोलेंदवाना दुकान का मेरे चेहरे प्राप्त था भरेलाफ
 केनाम से, 1.13 डिग्रील पकेट (मिलाख के
 अलापल प्राप्त होने को बताया गया।)


 ज. पी. खटिवाडा
 ज. पी. खटिवाडा नि. - रावेडा (डि. ज.)

ललिता रावेडा
 सरपंच

ग्राम - नून दरह + केरा खोल सामाजिक समीक्षा जनसुनवाई की उपस्थिति पंजी दिनांक-29/04/16	
क्रमांक	
①	इजोरसिंग कोथार
②	टिकेश्वर पुसाद कोथार
③	भवनरसाय राठिया
④	उदेराम ग्रामी
⑤	तिहार राम
⑥	संतोष
⑦	तिजरा
⑧	सुसमा बाई
⑨	हिरापीन बाई
⑩	राधाकुमारी बाई
⑪	शुक्लमोति बाई
⑫	मिरासी बाई
⑬	चनेश्वरी बाई
⑭	उदरसी बाई
⑮	तेपलमोति बाई

(16) चुलाई बाई

(17) राम्मा वति

राम्मा धर्मावत

(18) संकुन्ता बाई

संकुन्ता

(19) महेश्वरी राठिया

महेश्वरी राठिया

(20) तिजा बाई

तीजा

(21) सहोन्दा बाई

(22) धनमोति बाई

धनमोती

(23) आसमोति बाई

(24) कुन्दकुवर बाई

कुन्दकुवर

(25) जेनोणी बाई

(26) 5 आशराम
जोरी बाई

(27) जोरी बाई

(28) अमर साय

अमर साय

(29) जगत राम यादव

जगत राम यादव

(30) भगत राम

भगत राम

(31) धाजाराम

धाजाराम

31 अनिता कुमारी

Anita Kumari

32 विराजी वाई

Viraji

33 लखनलाल यादव

Laxman

34 जयपाल राविया

Jaypal Raviya

35 चन्दावती वाई

Chandavati

36 सम कुंवर वाई

Sam Kumbhar

37 शुकलाल राविया

Shuklal Raviya

38 धनिया राम मांकी

Dhaniya Ram Mani

39 रकुल सराम

Rakul Saram

40 अमरा कुमार

Amara Kumar

41 भुमेश्वर भुमेश्वर राम

Bhumeswar Bhumeswar Ram

42 सम कुंवर वाई चौहान

Sam Kumbhar Chohan

43 शांती चौहान

Shanti Chohan

44 महेन्द्र चौहान

Mahendra Chohan

45 रम रानी चौहान

Ram Rani Chohan

46 अमृतलाल

अमृतलाल

47 गौरीलाल

गौरीलाल

48 बीजय कुमार

बीजय कुमार

49 पवित

पवित

50 गोकुल

गोकुल

51 जहरसाय चौहान

जहरसाय

52 जे. पी. खेड़े

जे. पी. खेड़े

53 मी. एन. चव्हाण

मी. एन. चव्हाण

54 डा. एल. ज्ञान

डा. एल. ज्ञान

55 डेगेश पेटले

डेगेश पेटले

56 राजय अमृतलाल उपाध्याय

राजय अमृतलाल उपाध्याय

57 लालिता शर्मा

लालिता शर्मा

58 श्रीमती शिव कुमारी सिंह

श्रीमती शिव कुमारी सिंह

59 सनपल रामा

सनपल रामा

60 दिलवार सिंह

दिलवार सिंह

प्रभावित खातेदार का विवरण

क्रमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अर्जित (हेक्टेयर)	रकबा अर्जित (ए0)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू-खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किस्म जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिछली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	रसपाल व बुडुराम जाति गोंड	317/1	1.052	0.505	1.25	1.351	असिंचित	धान	L	ST
2	जयंत ठेंववार व0 हरिराम, अर्चना पति जयंत, मीता गुप्ता पति मनिष, मनिष व0 बलराम जाति रावत	164/3	0.081	0.081	0.20	0.081	असिंचित	चउद	S	OBC
3	देवमती देवा बैहालाल, कीर्तन वलद हटाऊ जाति गोंड	164 /1	0.339	0.040	0.10	0.339	असिंचित	धान	S	ST
4	मुनेश्वर व0 किरतन जाति कंवर	348/19	0.292	0.109	0.27	2.442	असिंचित	धान	AM	ST
5	सरोज कुमार व0 रावेल जाति उरांव	385/4	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
6	जुनाथान व0 मरकुस जाति उरांव	385/5	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
7	सिलबानुस व0 सुश्रू जाति उरांव	385/6	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
8	मोतीमनी जौ असफ जाति उरांव	369/1	0.035	0.030	0.07	1.479	असिंचित	धान	L	ST
		371/1	1.218	0.038	0.09		असिंचित	धान		
		385/2	0.226	0.040	0.10		असिंचित	धान		
9	नोहरसिंह व0 संतोषसिंह जाति गोंड	369/2	0.607	0.040	0.10	6.107	असिंचित	धान	O	ST
10	अमरसाय व0 रामचरण जाति गोंड	369/3	0.183	0.080	0.20	0.532	असिंचित	धान	S	ST
11	आसफ भिंज व0 विश्राम जाति उरांव	371/2	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
12	मनोजकुमार व0 पोलीकार्य जाति उरांव	371/3	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
13	सुधीर व0 मार्टिन जाति उरांव	371/4	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
14	मुकुंददान व0 पोतीकार्य जाति उरांव	371/5	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
15	नैननकुमार व0 विश्राम जाति उरांव	371/6	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
16	विकास टोप्पो व0 अनासुस जाति उरांव	307/20	0.044	0.032	0.08	0.044	असिंचित	धान	S	ST
17	विनोद बरवा व0 हबिल	307/19	0.118	0.118	0.29	4.273	असिंचित	धान	M	ST
18	अलिखराम व0 समसर	149/5	0.793	0.048	0.12	1.329	असिंचित	धान	L	ST
19	तिहारी व0 नकुल, सुखलाल, सुखमति व0 घुराउ	166/1	0.437	0.040	0.10	1.981	असिंचित	धान	L	ST
20	एतवारीन पि0 सहदेव	171	0.251	0.040	0.10	2.320	असिंचित	धान	AM	ST
21	लक्ष्मीबाई पि0 संतराम	307/9	0.607	0.080	0.20	0.987	असिंचित	धान	S	ST
22	काशीराम व0 बोधराम	307/8	1.943	0.150	0.37	1.989	असिंचित	धान	L	ST
23	पुनीलाल, छेदीलाल व0 लोघुराम	307/17	0.51	0.210	0.52	1.898	असिंचित	धान	L	ST
24	संतराम व0 बनाउ	338/5	0.425	0.186	0.46	1.229	असिंचित	धान	L	ST
25	मेहतरीन व0 जीराधन	338/6	0.809	0.056	0.14	1.729	असिंचित	धान	L	ST
26	धनमती व0 भगताराम	386/1	0.162	0.040	0.10	1.329	असिंचित	धान	L	ST
27	आत्माराम व0 अमरुद	385/1	0.35	0.089	0.22	2.425	असिंचित	धान	AM	ST
28	द्याबीराम व0 मतवार	167	1.457	0.098	0.24	3.687	असिंचित	धान	AM	ST
योग		30	12.267	2.478	6.12	37.879				

दिनांक 5/2/2016

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरदोडा
सदरमः माननीय जिला अधिकारी के पत्र क्रमांक 11805/
अ-अर्जन/2016 राफाद दिनांक 16/12/2016

बिषय:- अ-अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन से उचित प्रतिकार
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा के
अन्तर्गत, स्वयं सामाजिक सुगन्धित प्रबंधन योजना ग्राम नुन्देहरा
के सुझावों हेतु रिपोर्ट

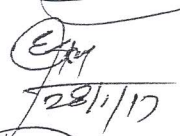
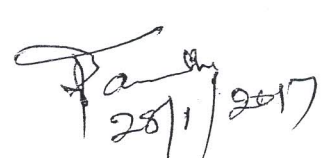
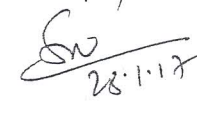
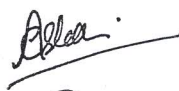
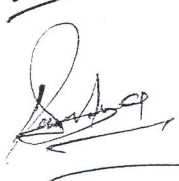
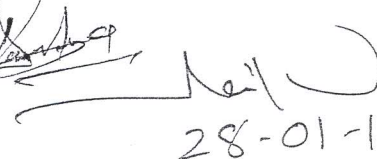
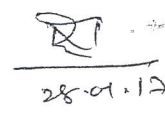
उपरोक्त बिषय स्वयं सदरमः के बिषय में अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व धरदोडा जिला राफाद की उपस्थिति में
विशेषज्ञ समूह के दल द्वारा दिनांक 28/12/2016 के धरदोडा
में उपरोक्त बिषय पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गयी
सम्बंधित दस्तावेजों के आधार पर यह विदित हो रहा है
कि उक्त ग्राम की जमीन का कुछ भाग ही आवंटन के लिए
प्रस्तावित है। प्रस्तावित अ-अर्जन की जमीन से रेलवे ट्रैक
प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेलवे ट्रैक सेक्शन टी के सी लारा के
लिए तिलई पाली से कोयला का परिवहन होना सुनिश्चित
है। बिना प्रस्तावित भूमि के अ-अर्जन के परियोजना का
पूर्ण होने के लिए अति आवश्यक है। पुनः प्रस्तावित
भूमि का रकबा 3.17 एकड़ है और ट्रैक की लम्बाई 1.540
किमी. है।

प्रस्तावित भूमि का अ-अर्जन रेलवे लाइन (कोटरी) के
आधार पर किया गया है। जिसमें कारभेशन कि चौड़ाई, दलाव
स्वयं पाली के निष्कारण का चर्चा उचित दृष्टान रख कर
किया गया है। साथ ही ट्रैक की मरम्मत की आवश्यकता
के लिए उपयोग में आने वाली भूमि का ध्यान रख कर
किया गया है।

अतः यह स्थापित किया जाता है कि ग्राम नुन्देहरा
तहसील तमनार जिला राफाद कि प्रस्तावित भूमि रेलवे
ट्रैक के मापदंडों के आधार पर किया गया है। अनावश्यक
भूमि अर्जित नहीं की जा रही है।

धर्म
हरीलाल सेवानिवृत्त कार्यपालन
अभिधेता निर्माण द.पू.म.र.
विलासपुर 2/1/17

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली कोल
माईनिंग परिभोजना में आने वाले दस गांवों का
सामाजिक समाधान निधीकरण एवं प्रबंधन हेतु
प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट
कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित
सदस्य गण उपस्थित थे।

- | नाम | हस्ताक्षर |
|------------------------------|---|
| 1. — गांधी रविशंकर - |  |
| 2. — योगेश शर्मा - |  |
| 3. Harpal - |  → 8109188088 |
| 4. श्री Dixit - |  → 9425235366 |
| 5. Indhu. V. Dandekar |  → 9826370111 |
| 6. S. JAYAVARDHAN |  |
| 7. Alia Gwona |  |
| 8. राधाश्यामशर्मा |  |
| 9. C.M. Naik (GM.TL) |  28-01-17 |
| 10. N.M. Swen, Sr. Mgr, Temp |  28-01-17 |